न्यायालय, श्री अनुराग, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) बनमनखी (पूर्णियाँ)

Evi. Suit-01/2016

20.06.2025 वादी की ओर से हाजरी साथ शपथ पत्र से संपुष्ट तीन अलग–अगल आवेदन क्रमशः ओदश–22 नियम–4, आदेश–22 नियम–9 एवं मियाद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दाखिल की गई। आवेदन के एक–एक प्रति प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दी गई।

वाद पुकार पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए, तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी का आवेदन को No objection किया गया। वादी अपने प्रतिस्थापन आवेदन को संचालित करते हुए कथन करते है कि प्रतिवादी कुमिया देवी उर्फ सोना देवी की मृत्यु दिनांक–24.02.2025 को वाद लंबित के दौरान हो गई है। अतः इनके वारीशान दो पुत्र क्रमशः 1. माणिकचन सहनी एवं 2. जितेन्द्र सहनी एवं दो पुत्री क्रमशः 1. सोनी देवी एवं 02. शोभा देवी को पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। अतः वादी की ओर सें दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी कुमिया देवी उर्फ सोना देवी की मृत्यु दिनांक–24.02.2025 वाद लंबित के दौरान हो गई है। अतः इनके वारीशानो को पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदनों पर No objection का टिप भी दिये है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल आवेदन को तदनुसार **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी विहित समय के अन्दर मृतक प्रतिवादी के वारीशान के नाम को वाद–पत्र में अंकित करें, तथा इनकी उपस्थिति हेतु सम्मन का आपेक्ष दाखिल करें।

वाद दिनांक–21.07.2025 वास्ते सम्मन का आपेक्ष हेतु।

मुंसिफ
बनमनखी।